

पेषक,

सी.बी. पालीवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ.प्र., लखनऊ।

04 जुलाई

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक जून, 2013

विषय: वेतन समिति 2008 के तेरहवें प्रतिवेदन (भाग-1) के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के सम्बन्ध में संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) द्वारा तेरहवें प्रतिवेदन (भाग-1) के माध्यम से की गयी संस्तुतियों के अनुक्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे.आ.2- 402/दस-54(एम)/2008 टी.सी. दिनांक-21 जून, 2013 द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में उ.प्र. नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के पदों के पदनाम, वेतनमान तथा संवर्गीय ढाचा तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार इस प्रतिबन्ध के अधीन पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इस पुनर्गठन एवं वेतनमान संशोधन से आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को संबंधित निकाय अपने स्रोतों से वहन करेंगे एवं इस हेतु शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी :-

| विद्यमान व्यवस्था | | | संशोधित व्यवस्था | | |
|---|--|---------------------------|---|----------------|--------------------------------------|
| पदनाम | पदों की संख्या | वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन | प्रस्तावित पदनाम | पदों की संख्या | प्रस्तावित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| अपर नगर आयुक्त | 20 | 15600-39100 / 7600 | अपर नगर आयुक्त | 20 | 37400-67000 / 8700 |
| उप नगर आयुक्त (विशेष वेतनमान) | उप नगर आयुक्त के पदों के 20 प्रतिशत पद | 15600-39100 / 7600 | संयुक्त नगर आयुक्त | 19 | 15600-39100 / 7600 |
| उप नगर आयुक्त / संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण / अधिशासी अधिकारी सिटी बोर्ड | 59 | 15600-39100 / 6600 | उप नगर आयुक्त / संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण / अधिशासी अधिकारी सिटी बोर्ड | 40 | 15600-39100 / 6600 |

| | | | | | |
|---|-----|--------------------|---|-----|--------------------|
| सहायक नगर आयुक्त (22)/अधिकासी अधिकारी श्रेणी-1(22)/उप सचिव विकास प्राधिकरण (12) | 56 | 15600-39100 / 5400 | सहायक नगर आयुक्त/अधिकासी अधिकारी श्रेणी-1/उप सचिव विकास प्राधिकरण | 56 | 15600-39100 / 5400 |
| अधिकासी अधिकारी श्रेणी-2 (अनुभागीय अधिकारी नगर निगम-06) | 44 | 9300-34800 / 4200 | अधिकासी अधिकारी श्रेणी-2/नगर अधिकारी | 44 | 9300-34800 / 4600 |
| अधिकासी अधिकारी-श्रेणी-3 | 30 | 5200-20200 / 2800 | अधिकासी अधिकारी श्रेणी-3 | 118 | 9300-34800 / 4200 |
| अधिकासी अधिकारी श्रेणी-4 | 88 | 5200-20200 / 2800 | | | |
| अधिकासी अधिकारी नगर पंचायत | 423 | 5200-20200 / 2000 | अधिकासी अधिकारी नगर पंचायत | 423 | 5200-20200 / 2800 |
| योग- | 720 | | | 720 | |

उपर्युक्त पुनर्गठन एवं वेतनमानों के पुनरीक्षण व पदों की भर्ती की व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

| पदनाम | पदों की संख्या | वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन | भर्ती की व्यवस्था |
|---|----------------|--------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| अपर नगर आयुक्त | 17 | 37400-67000 / 8700 | 02 वर्ष की सेवा वाले संयुक्त नगर आयुक्त के पदों से पदोन्नति द्वारा |
| संयुक्त नगर आयुक्त | 19 | 15600-39100 / 7600 | 03 वर्ष की सेवा वाले उप नगर आयुक्त/समकक्ष पदों से पदोन्नति द्वारा |
| उप नगर आयुक्त/समकक्ष पद | 40 | 15600-39100 / 6600 | 05 वर्ष की सेवा वाले सहायक नगर आयुक्त/अधिकासी अधिकारी श्रेणी-1/उप सचिव विकास प्राधिकरण के पदों से पदोन्नति द्वारा। |
| सहायक नगर आयुक्त/अधिकासी अधिकारी श्रेणी-1/उप सचिव विकास प्राधिकरण | 56 | 15600-39100 / 5400 | 1. 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता-स्नातक उपाधि। परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जायेगा जब वे डोयक सोसाइटी (DOEACC) से प्रदत्त "ओ" स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। 2. 50 प्रतिशत पद 03 वर्ष की सेवा वाले अधिकासी अधिकारी श्रेणी-2/नगर अधिकारी के पदों से पदोन्नति द्वारा। |
| अधिकासी अधिकारी श्रेणी-2/नगर अधिकारी | 44 | 9300-34800 / 4600 | 05 वर्ष की सेवा वाले अधिकासी अधिकारी श्रेणी-3 के पदों से पदोन्नति द्वारा। |
| अधिकासी अधिकारी श्रेणी-3 | 118 | 9300-34800 / 4200 | 07 वर्ष की सेवा वाले अधिकासी अधिकारी (नगर पंचायत) के पदों से पदोन्नति द्वारा। |

सख्या- 2446 (1)/9-1312 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखकार, लेखा (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय
- 4- समस्त महाप्रबंधक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय
- 5- समस्त अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका, परिषद/नगर पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय,
- 6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 को तीन-तीन प्रतियों में।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
8. कार्मिक अनुभाग-1/2
9. नगर विकास अनुभाग-4
10. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश) सिंह
विशेष सचिव।